डीजल लोको वर्क्स वाराणसी का लेखा विभाग

4673. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी के लेखा विभाग श्रेणी-तीन के कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं तथा उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो गत पांच वर्ष से कार्य कर रहे हैं और अब तक स्थायी नहीं किए गए हैं और इसके कारण क्या है ; और

(ख) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी के लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के श्रेणी-तीन और दो के कितने पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है और कितने पद खाली पड़े हुए हैं और उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के लेखा विभाग में श्रेणी-III के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 100 और 71 है । 71 अस्थायी कर्मचारियों में से 19 कर्मचारी पिछले पांच साल से काम कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं । स्थायी न किये जाने का कारण यह है कि इस बारे में डीजल रेल इंजन कारखाना ने रेल मंत्रालय से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था ; स्पष्टीकरण दे दिया गया है और डीजल रेल इंजन कारखाना प्रश्नाधीन कर्मचारियों के शीघ्रतापूर्वक स्थायीकरण के बारे में प्रबन्ध कर रहा है ।

(ख) श्रेणी-III कर्मचारी कोटि में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए क्लर्क ग्रेड I का एक पद और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी (लेखा) का एक पद तथा श्रेणी-II कोटि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक पद अनारक्षित घोषित कर दिये गये हैं । डीजल रेल इंजन कारखाना के लेखा विभाग में श्रेणी-II और श्रेणी III का फिलहाल कोई पद खाली नहीं पड़ा है ।

कुछ मार्गों पर नये किस्म के वाहन चलाने के लिए परमिट

4674. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए किस्म के वाहन कुछ मार्गों पर जिनका इस प्रयोजन के लिए चयन किया गया था, चलाने हेतु परमिट जारी करने के लिए दिल्ली प्रशासन का क्या मानदंड अपनाने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार का विचार परमिटधारियों, कम्पनियों और संगठनों को ऋण सुविधाएं देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह). (क) इस मामले में, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली परमिट देगा और ऐसा करते समय प्राधिकरण उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसकी व्यवस्था मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 में की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

दोहद-इन्दौर लाइन

4675. **श्री दिलीप सिंह भूरिया**. क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने दोहद से इंदौर तक रेल लाइन बिछाने के बारे में कभी सर्वेक्षण कराया है :

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित कितना व्यय करने का विचार है :

(ग) क्या सर्वेक्षण के बाद दोहद से इंदौर तक रेल लाइन बिछाने संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी थी ; और

(घ) क्या आदिवासी और पिछड़े इलाकों में रेल लाइनें बिछाने के कार्य को प्राथमिकता देने के बारे में सरकार की कोई नीति है और क्या दोहद-इंदौर रेल लाइन के कार्य को इस आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है । योजना आयोग द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है । दोहद-इंदौर रेलवे लाइन के निर्माण के प्रश्न पर इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

Changes in Haj Committee Act

4676. SHRI G. M. BANATWALA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether changes in the Haj Committee Act are under consideration of Government;